** To be scanned with e Courts Services Mobile App*	**Indraj Singh Rajpoot & another** **V. Vishwanath @ Chuttan Rajpoot & another** **Case No. MJCMACC/11/2022** **CNR No. MP38060015922022** **Filing Date 17-10-2022**

09.09.2023

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत की बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र. की इस खण्डपीठ क. 09 के समक्ष समझौता संबंधी कार्यवाही हेतु, संबंधित अधिकरण/न्यायालय { अर्थात् सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/प्रथम जिला न्यायाधीश, बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र. (पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक शिवहरे)} द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

डिक्रीधारीगण/अवार्ड धारकगण इंद्राज सिंह और प्रभा की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज राजपूत उपस्थित। इनमें से अवार्ड धारक इंद्राज सिंह स्वयं उपस्थित भी है।

उपरोक्त दोनों अवार्ड धारकगण इंद्राज सिंह और प्रभा की ओर से पैरवी के लिए आज इस लोक अदालत के समक्ष अधिवक्ता श्री मनोज राजपूत ने वकालतनामा भी प्रस्तुत किया है **जो उन दोनों अवार्ड धारकगण इंद्राज सिंह और प्रभा द्वारा निष्पादित है।**

निर्णीतऋणीगण विश्वनाथ उर्फ छुट्टन और खेमचंद स्वयं उपस्थित।

आज इस खण्डपीठ के समक्ष उभयपक्ष की ओर से एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उनके मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है और इसलिए अब डिक्रीधारीगण/अवार्ड धारकगण इस प्रकरण में निर्णीतऋणीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं और यह प्रकरण डिक्रीधारीगण/अवार्ड धारकगण की **पूर्ण संतुष्टि** में खारिज कर दिया जाए।

उपरोक्त समझौता आवेदन उपस्थित पक्षकारों इंद्राज सिंह, विश्वनाथ उर्फ छुट्टन और खेमचंद द्वारा हस्ताक्षरित है और अनुपस्थित पक्षकार प्रभा की ओर से उसके अधिवक्ता श्री मनोज राजपूत द्वारा भी हस्ताक्षरित है और समझौता आवेदन पर इन चारों ही पक्षकारों के फोटोग्राफ्स भी लगे हुए हैं।

पूछताछ किए जाने पर उपरोक्त इंद्राज सिंह द्वारा, और उपरोक्त प्रभा की ओर से उसके अधिवक्ता श्री मनोज राजपूत द्वारा, उपरोक्त समझौता आवेदन की पुष्टि करते हुए व्यक्त किया जा रहा है कि न्यायालय के बाहर दोनों अवार्ड धारकगण का आपसी सहमति से दोनों निर्णीतऋणीगण से आपसी समझौता हो गया है और वह समझौता उनकी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से हुआ है और किसी भी प्रकार के डर या दबाव के बिना हुआ है और उस समझौते के आधार पर यह प्रकरण आज लोक अदालत में खारिज कर दिया जाए क्योंकि वे अब इस प्रकरण को चलाना नहीं चाहते हैं।

निर्णीतऋणीगण भी उपरोक्त समझौते की पुष्टि कर रहे हैं।

उपरोक्त तीनों पक्षकारों की पहचान अधिवक्ता श्री मनोज राजपूत द्वारा की जा रही है। शेष पक्षकार/अवार्ड धारक प्रभा की अनुपस्थिति के संबंध में उसके अधिवक्ता श्री मनोज राजपूत द्वारा व्यक्त किया जा रहा है कि अवार्ड धारक प्रभा एक महिला होकर इस पदस्थापना से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित गांव में निवास करती है और उसके छोटे बच्चे हैं और इसलिए वह उपस्थित होने में असमर्थ है।

उपरोक्त प्रयोजन से यह स्पष्ट किया जाता है कि आज जो वकालतनामा अधिवक्ता श्री मनोज राजपूत ने प्रस्तुत किया है कि उस वकालतनामें में अपनी ओर से इस प्रकरण में सभी प्रकार की कार्यवाहियां करने के व्यापक अधिकार उपरोक्त अवार्ड धारक प्रभा ने अधिवक्ता श्री मनोज राजपूत को प्रदान किए हैं और समझौता आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार भी दिया है। ऐसी स्थिति में अवार्ड धारक प्रभा के संबंध में यह माना जाएगा कि उपरोक्त समझौता आवेदन उसकी ओर से भी प्रस्तुत किया गया है क्योंकि उसके द्वारा वकालतनामें के माध्यम से अधिकृत अधिवक्ता श्री मनोज राजपूत द्वारा समझौता आवेदन को हस्ताक्षरित किया गया है और समझौता होना स्वीकार भी किया जा रहा है। इस प्रयोजन से न्याय दृष्टांतों *Byram Pestonji Gariwala V. Union Bank of India and others AIR 1991 SC 2334* एवं *Bakshi Dev Raj and Anr. V. SudheerKumar AIR 2011 SC 3137* में प्रतिपादित विधिक स्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि किसी सिविल प्रकरण में किसी पक्षकार की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा भी उस दशा में किया जा सकता है जब उस पक्षकार ने वकालतनामें के माध्यम से अपने उस अधिवक्ता को समझौता करने को अधिकार भी दिया हो।

वर्ष 2016 में घटित सड़क दुर्घटना में उपरोक्त डिक्रीधारी/अवॉर्ड धारक प्रभा के पति रामकिशोर राजपूत की मृत्यु हो गई थी और उस संबंध में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत प्रस्तुत प्रकरण क्र. **MACC/13/2017** में डिक्रीधारीगण/ अवार्ड धारकगण इंद्राज सिंह और प्रभा के पक्ष में और वर्तमान निर्णीतऋणीगण के विरूद्ध कुल 5,07,100/–रूपये का अवार्ड दिनांक 30.08.2022 पारित किया गया था और अवार्ड राशि पर आवेदन प्रस्तुत दिनांक से वसूली दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर ब्याज प्रदान किए जाने का आदेश भी दिया गया था और प्रतिकर की यह राशि और ब्याज अदा करने का उत्तरदायित्व निर्णीतऋणीगण का था **और उसी अवार्ड के प्रवर्तन के लिए यह प्रवर्तन प्रकरण विचाराधीन है।**

अब यदि न्यायालय/अधिकरण के बाहर हुए किसी आपसी समझौते के आधार पर डिक्रीधारीगण/अवॉर्ड धारकगण इंद्राज सिंह और प्रभा स्वयं ही इस प्रकरण को चलाना नहीं चाहते हैं और आपसी समझौते के आधार पर अपनी पूर्ण संतुष्टि में इस प्रकरण को स्वयं ही खारिज करवाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए वे स्वतंत्र है।

परिणामस्वरूप, उपरोक्त समझौता आवेदन स्वीकार किया जाता है और इस प्रकरण क्र. MJCMACC/11/2022 (Indraj Singh Rajpoot & another V. Vishwanath @ Chuttan Rajpoot & another) में जारी प्रवर्तन कार्यवाही,

उस समझौता आवेदन के आधार पर, इस नेशनल लोक अदालत में समाप्त करते हुए यह प्रकरण आज खारिज किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर और इस आदेश की एक **digitally signed** प्रति सी.आई.एस. में अपलोड कर अभिलेख विधिवत् अभिलेखागार में जमा करवाया जाए।

VIVEK SHIVHARE

For authenticating & signing this document digitally by VIVEK SHIVHARE, First District & Additional Sessions Judge, Begumganj District Raisen M.P.
Location: Civil Court, Begumganj District Raisen M.P.
Date: 2023.09.09 16:44:13 +0530

sd

श्री गंधर्व सिंह लोधी
अधिवक्ता
(सदस्य)

विवेक शिवहरे
पीठासीन अधिकारी
नेशनल लोक अदालत खंडपीठ क. 9
बेगमगंज, जिला रायसेन म.प्र.